भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *66

29 नवम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राजस्थान में प्रसवपूर्व देखभाल की गुणवत्ता

***66. श्री राहुल कस्वां:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में, विशेषत: चूरू जिले में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित दिशानिर्देशों के अनुसार गर्भवती महिला को प्रसवपूर्व न्यूनतम आठ बार प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी के पास जाने की अपेक्षा को पूर्ण करने हेतु प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार की राजस्थान में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं पर प्रदान की जा रही प्रसवपूर्व देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता/घटकों को मापने के लिए नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक में संकेतक शामिल करने की कोई योजना है;

(ग) मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से राजस्थान के चूरू जिले में प्रसवपूर्व देखभाल उपयोग और शैक्षिक स्तर में असमानताओं को दूर करने के लिए क्या तंत्र बनाया गया है/हस्तक्षेप किए गए हैं; और

(घ) राजस्थान में सेवा प्रदायगी अंतराल को पाटने और क्षेत्रीय असमानताएं कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) जैसी योजनाओं के तहत क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

29 नवम्बर, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *66 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से राजस्थान के चुरू जिले सहित भारत भर में व्यापक प्रसव पूर्ण जांच एनएनपी पहले ही शुरू की हुई है। इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए), के तहत विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा एक गुणवत्तापरक जांच के साथ-साथ चार नियमित एएनसी दौरे तथा विस्तृत पीएमएसएमए के तहत उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के लिए तीन अतिरिक्त अनुवर्ती दौरे किए जाते हैं।

(ख): भारत सरकार राजस्थान सहित सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में एएनसी सेवाओं की गुणवत्ता/मात्रा का आकलन करते हुए एएनसी की गुणवत्ता सेवाओं पर डाटा संग्रहित करती है, जिसमें नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक के संकेतक भी शामिल किए जाते हैं।

(ग): राजस्थान राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) और शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को कम करने तथा असमानताओं को दूर करने के लिए चूरू जिले सहित राजस्थान राज्य में गर्भवती महिलाओं की भारत सरकार के प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) पोर्टल और राज्य विशिष्ट प्रेगनेंसी, चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विसेज (पीवीटीएस) पोर्टल/रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल के माध्यम से नाम द्वारा व्यवस्थित रूप से ट्रैकिंग की जाती है। स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों में उच्च गुणवत्तापरक एएनसी सेवाओं की प्रदायगी पर अधिक बल देते हुए प्रथम तिमाही की गर्भावस्था के पंजीकरण को वरीयता दी जाती है। लाभार्थियों को उनकी तय तारीखों पर स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं लेने के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों में जाने के लिए नियमित रूप से एसएमएस से अनुस्मारक भेजें जाते हैं। इसके अतिरिक्त, समय पर सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र विशेष के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रत्येक 15 दिनों में एसएमएस के द्वारा सूचित किया जाता है।

(घ): राजस्थान में सेवा राजस्थान में सेवाप्रदायगी की कमियों को दूर करने तथा क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) सहित अनेक पहलें शुरू की गई हैं।

- **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)** के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं विशेषकर कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव करने को बढ़ावा दिया जाता है। सभी गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने पर प्रसव के बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाएं सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बिल्कुल नि:शुल्क और खर्च रहित प्रसव, जिसमें सिजेरियन सेक्शन भी शामिल है,

कराने की हकदार है। इन हकदारियों में नि:शुल्क दवाएं, उपभोज्य सामग्री, संस्थान में ठहराव के दौरान नि:शुल्क खुराक, नि:शुल्क नैदानिक सेवाएं, आवश्यकता पड़ने पर नि:शुल्क रक्ताधान और प्रसव पूर्ण अवधि से लेकर प्रसव पश्च अवधि (प्रसव के बाद 42 दिनों तक) तक घर से संस्थान तथा संस्थान से घर तक नि:शुल्क परिवहन सेवा शामिल है। यही हकदारियां 1 वर्ष तक की आयु के बीमार शिशुओं को भी प्रदान की जाती हैं।

- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)** के तहत प्रत्येक माह के नियत 9वें दिन किसी विशेषशज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा गर्भवती महिलाओं की नि:शुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तापरक प्रसव पूर्ण जांच की जाती है। निजी क्षेत्र में कार्यरत प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों/रेडियोलॉजिस्टों/ चिकित्सकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे नामोदिष्ट सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों में स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करें।

विस्तृत पीएमएसएमए कार्यनीति गर्भवती महिलाओं विशेष कर उच्च जोखिम पूर्ण गर्भावस्था (एचआरपी) वाली महिलाओं को गुणवत्तापुरक एएनसी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें एचआरपी महिलाओं का व्यक्तिगत तौर पर पता लगाकर ट्रैकिंग/चिन्हित एचआरपी महिलाओं को वित्तीय प्रोत्साहन के साथ सुरक्षित प्रसव कराया जाता है तथा पीएमएसएमए दौरे के अतिरिक्त और तीन दौरों के लिए आशाकर्मियों को सहायता दी जाती है।

- **मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस** आईसीडीएस के तालमेल में पोषण सहित मातृ और बाल स्वास्थ्य परिचर्या के प्रावधान के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर किया जा रहा एक जनसंपर्क क्रियाकलाप है।
- **जनसंपर्क शिविर** विशेषकर जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए लगाए जाते हैं। इन शिविरों का उपयोग मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जागरूकता बढ़ाने, उच्च जोखिमपुर्ण गर्भावस्थाओं का पता लगाने के साथ-साथ सामुदायिक एकजुटता के लिए किया जाता है।
- **आयुष्मान आरोग्य मंदिर की टीमें** सेवा वंचित वर्गों तक पहुंचने, उपचार व्यवस्था का पालन करने में सहायता करने तथा गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को अनुवर्ती उपचार प्रदान करने आदि के लिए नियमित अंतराल पर शिविर लगाती हैं।
- **प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) पोर्टल** गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए नाम आधारित वेब आधारित ट्रैकिंग प्रणाली है, जिसमें इन्हें प्रसव पूर्व स्वास्थ्य परिचर्या, संस्थागत प्रसव और प्रसव पश्च स्वास्थ्य परिचर्या सहित अन्य नियमित और पूर्ण सेवाएं निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जाती हैं।
- **मातृ और बाल सुरक्षा एनसीपी कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका** गर्भवती महिलाओं को वितरित की जाती हैं जिसमें उन्हें खुराक, आराम, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य परिचर्या और प्रसव पश्च स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी दौरों के महत्व, गर्भावस्था से जुड़े जोखिम संकेतों, लाभ योजनाओं तथा संस्थागत प्रसव के बारे में शिक्षित किया जाता है।

*****